अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रिमरपाल कौर बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 27 सन् 2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00073

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस तर्क किया कि चक 22 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 52/53 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 55/4, 55/7, 55/26 की कुल 9.171 हैक्टेयर व खाता संख्या 60/57 के मुरब्बा नम्बर 23, 32, 45, 46, 55/6, 55/9 की कुल 12.624 हैक्टेयर भूमि में से अप्राथी संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम 2.161 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है। अप्राथी संख्या 1 के तीन पुत्र एंव एक पुत्री क्रमशः बलवीर सिंह, परविन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह एंव रणवीर कौर है। जिसमें से प्रार्थिया परविन्द्र सिंह की ब्याहता स्त्री है। प्रार्थिया का पति परविन्द्र सिंह मंदबुद्धि है। जिसकी देखरेख एंव सार संभाल हर प्रकार से प्रार्थिया करती है। प्रार्थिया के पति परविन्द्र सिंह को उसके हिस्सा की पैतृक सम्पति दिये जाने लेकिन उसके मंदबुद्धि होने के कारण दिनांक 09.01.2004 को एक दस्तावेज पारिवारिक समझौतानामा रूबरू गवाहन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से 7.09 बीघा भूमि प्रार्थिया को अन्तरित कर दी। इसी समझौतानामा की रूह से प्रार्थिया उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि अपने नाम से दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर अब वर्तमान में वादाधीन भूमि को अन्यत्र रहन, बैय दीगर तरीके से मुन्तकिल करने एंव जबरन प्रार्थी/वादी से कब्जा प्राप्त करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है। अगर अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी/वादी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। अतः अप्रार्थी के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थी चक 22 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 52/53 के मुरब्बा नम्बर 22, 23, 55/4, 55/7, 55/26 की कुल 9.171 हैक्टेयर व खाता संख्या 60/57 के मुरब्बा नम्बर 23, 32, 45, 46, 55/6, 55/9 की कुल 12.624 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह के नाम 2.161 हैक्टेयर भूमि में से 1.908 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादगत भूमि के सम्बन्ध में तैयार करवाया गया समझौतानामा दिनांक 09.01.2004 फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार करवाया गया है। ऐसे दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी की कृषि भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रार्थिया को कानूनन अधिकार हासिल नहीं होता है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अतः अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम विधिसंगत नही समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मुलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर